1

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 20.08.2019 को विभागीय पदाधिकारियों के साथ आयोजित कार्यों की समीक्षा बैठक की कार्यवाही:—

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 20.08.2019 को विभागीय पदाधिकारियों के साथ कार्यों की समीक्षा बैठक की गयी, जिसमें विभाग के वरीय पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी, परियोजना निदेशक एवं प्रशाखा पदाधिकारी उपस्थित हुए। **बैठक में निम्नवत निर्देश दिये गये :–**

1. बिहार नगर सेवा नियमावली प्रारूप संबंधी संचिका वित्त विभाग भेजी गयी है। इसके शीघ्र निष्पादन हेतु वित्त विभाग से समन्वय किया जाय। **(अनुपालन :— प्रशाखा पदाधिकारी—1)**
2. एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन के तहत बुडको के अधीन अभियंताओं के सृजित पदों को नगर विकास एवं आवास विभाग (राज्य सरकार) के अधीन किये जाने हेतु प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। निर्देश दिया गया कि मंत्रिपरिषद की स्वीकृति हेतु संलेख प्रारूप के साथ संचिका आज ही उपस्थापित किया जाय। **(अनुपालन :— प्रशाखा पदाधिकारी—1)**
3. REAT के पदाधिकारियों के Terms of Service का गठन किया जाय।
(अनुपालन :— प्रशाखा पदाधिकारी—1)
4. बैठक में जानकारी प्राप्त हुई कि जिन नवनियुक्त कार्यपालक पदाधिकारियों का वेतन विभाग से पुर्जा निर्गत हुआ है, उसे ई०मेल के माध्यम से संबंधितों को भेज दिया गया है। निर्देश दिया गया कि इनका वेतन पुर्जा आज ही रजिस्टर्ड डाक से भी संबंधितों को भेजा जाय और भविष्य में भी इन पदाधिकारियों का निर्गत होने वाला वेतन पुर्जा रजिस्टर्ड डाक से भी भेजना सुनिश्चित करेंगे।
(अनुपालन :— प्रशाखा पदाधिकारी—1)
5. निकायों की पुनर्संरचना के तहत प्रमंडल स्तर पर उप निदेशक का पद सृजित करने की कार्रवाई की जाय। **(अनुपालन :— प्रशाखा पदाधिकारी—1)**
6. नवनियुक्त कार्यपालक पदाधिकारियों का बिपार्ड के माध्यम से batchwise प्रशिक्षण दिनांक 15.09. 2019 से आयोजित कराने एवं उनके आवासन की व्यवस्था कराने की कार्रवाई की जाय। इनमें तत्काल वैसे कार्यपालक पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिलाने की कार्रवाई की जाय, जिनके निकाय में शौचालय निर्माण कार्य में शत—प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त हो चुकी है।
(अनुपालन :— श्री संजय कुमार, विशेष सचिव)
7. TCPO अंतर्गत समूह 'घ' के कई कर्मियों का अभी तक सेवा संपुष्टि नहीं हो पाया है। सेवा संपुष्टि नहीं होने के कारण इन कर्मियों की प्रोन्नति संबंधी मामले को विभागीय प्रोन्नति समिति की पिछली बैठक में अस्वीकृत भी कर दिया गया था। इस संबंध में पिछले कई बैठकों के क्रम में निदेशित किया जाता रहा है, लेकिन अभी तक संबंधित कर्मियों की सेवा संपुष्टि हेतु कोई कार्रवाई नहीं हो पायी है। बैठकों में सेवा संपुष्टि लंबित रहने के संबंध में पूछने पर भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जाती है। बार—बार निदेश दिये जाने के बावजूद भी यह मामला लंबित रहना खेदजनक है। पुनः

निर्देश दिया गया कि सेवा संपुष्टि के संबंध में शीघ्र कार्रवाई की जाय ताकि कर्मियों को अनुमान्य लाभ दिया जा सके। श्री संजय कुमार, विशेष सचिव इस कार्य का नियमित अनुश्रवण करेंगे।

(अनुपालन– श्री संजय कुमार, विशेष सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी–1)

8. कार्यपालक पदाधिकारियों/नगर प्रबंधकों एवं अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मियों के वेतन मद की राशि का आवंटनादेश शीघ्र निर्गत करने की कार्रवाई की जाय। **(अनुपालन :– प्रशाखा पदाधिकारी–2)**

9. नाली–गली की योजना, नल–जल योजना, नागरिक सुविधा आदि योजनाओं में नगर निकायों/बुडको से राशि उपलब्ध कराये जाने संबंधी प्राप्त अधियाचना के आलोक में उन्हें अवशेष राशि शीघ्र आवंटित करने हेतु प्रस्ताव संचिका में उपस्थापित किया जाय।

(अनुपालन :– प्रशाखा पदाधिकारी–2)

10. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत जिन निकायों में कम्पोस्टिंग पीट का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है, उसका प्रमंडलवार सूची बनाया जाय और उन निकायों को दिशानिर्देश भेजा जाय कि अगले सप्ताह से कम्पोस्टिंग का कार्य प्रारंभ कराएं। प्रमंडलवार सूची को विभाग में कार्यरत परियोजना पदाधिकारियों को भी उपलब्ध करा दिया जाय। सभी परियोजना पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अगले सप्ताह से अपने आवंटित प्रमंडल के निकायों में कम्पोस्टिंग कार्य का निरीक्षण करेंगे।

(अनुपालन :– श्रीमती इन्दु कुमारी, वि०का०प०/सभी परियोजना पदाधिकारी)

11. सभी परियोजना पदाधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि जिन निकायों में शौचालय निर्माण में शत–प्रतिशत उपलब्धि की संख्या अत्यंत ही कम रह गयी है, वैसे निकायों के साथ आज ही विशेष तौर पर समन्वय करके 02 दिनों के अंदर लंबित प्रगति को शून्य किया जाय ताकि वैसे निकाय ODF हो सकें। **(अनुपालन– सभी परियोजना पदाधिकारी)**

12. नगर निकायों के समूह "ग" के कर्मियों की नियुक्ति तथा निकायों का वर्गीकरण हेतु नियमावली/संलेख प्रारूप के साथ प्रस्ताव संचिका में एक सप्ताह के अंदर अनिवार्य रूप से उपस्थापित किया जाय। **(अनुपालन–प्रशाखा पदाधिकारी–5)**

13. GIS Survey एवं Property Survey संबंधी कार्य हेतु चयनित एजेंसियों द्वारा भुगतान हेतु पत्र विभाग में प्राप्त हो रहे हैं। इन एजेंसियों को उनके कार्यों के विरूद्ध एकरारनामा के अनुसार राशि के भुगतान हेतु संचिका उपस्थापित की जाएगी। **(अनुपालन–TCPO/प्रशाखा पदा०–11)**

14. Human Resources से संबंधित कई संस्थाओं द्वारा पूर्व में किये गये कार्यों के विरूद्ध बकाया भुगतान हेतु बार–बार विभाग से अनुरोध किया जा रहा है। निर्देश दिया जाता है कि इन संस्थाओं के बकाया भुगतान संबंधी दावों के संबंध में वस्तुस्थिति अंकित करते हुए स्पष्ट प्रस्ताव के साथ संचिका उपस्थापित किया जाय। **(अनुपालन :– प्रशाखा पदाधिकारी–4)**

15. नमामि गंगे योजनांतर्गत action plan तैयार कर विभाग द्वारा मंत्रालय को भेजा गया है तथा गंगा शहरों के SWM का DPR की स्वीकृति देते हुए इसके विरूद्ध राशि भी आवंटित की गयी है। निर्देश दिया गया कि उक्त कार्यों के निष्पादन हेतु दैनिक आधार पर अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन :– Team Leader, SPMG)

16. विभाग द्वारा तैयार किये गये नीति/नियम/विनियम आदि का कम्पेडियम तैयार किया जाय। इस हेतु संबंधित पदाधिकारियों/प्रशाखाओं से समन्वय कर इससे संबंधित परिपत्रों को प्राप्त कर कम्पेडियम तैयार किया जाएगा और इसे ई०–कम्पेडियम के रूप में विभागीय वेबसाइट पर अपलोड

किया जाएगा। कम्पेडियम तैयार किये जाने संबंधी कार्य PMC-NULM के IEC टीम द्वारा किया जाएगा। **(अनुपालन :– Team Leader, NULM)**

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

24/8/2019

(चैतन्य प्रसाद),
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 4401 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 22/8/19

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारी/सभी परियोजना पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/Team Leader, PMC (NULM)/Team Leader, SPMG/Team Leader, AMRUT (PDMC)/Team Leader, MIS Cell/अभियंत्रण कोषांग/TCPO/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/8/2019

प्रधान सचिव